# न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

प्रकरण संख्या 20/2019

## सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

..... रामकिशन ..... पुत्र ..... रूड सिंह .....

जाति ..... बाबरी ..... साकिन ..... 4SJM-B ..... निर्णय दिनांक ..... 12-4-19 .....

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

पटवारी हल्का ..... 7SJM-A ..... ने इस न्यायालय मं आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक ..... 5SJM ..... के मु. नं. ..... 237/384 ..... के कि. नं. ..... के कुल ..... 5.161 है० ..... रकबा राज पर ..... रामकिशन ..... पुत्र ..... रूड सिंह ..... जाति ..... बाबरी ..... साकिन ..... 4SJM-B ..... ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर ..... संवत - 2075 ..... काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर, अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युतर में, अप्रार्थी न तो उपस्थित आया और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज है। अतः अप्रार्थी ..... रामकिशन ..... पुत्र ..... रूड सिंह ..... को चक ..... 5SJM ..... के मु.नं. ..... 237/384 ..... के ..... 5.161 है० ..... रकबा राज को इस अतिचार के लिये उस पर भू. राजस्व का ..... 10 ..... गुणा रूपये ..... 344 ..... अखरे रूपये ..... तीन सौ चौवालीस रुपये ..... मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में फसल कुर्क करने का अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि की जाती हैं। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढ़ालबाछ में कायम, वसूली करें। तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़